

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय—आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

#### कार्मिक का विवरण:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	श्रीमती प्रभिला बेनीवाल, अध्यापक, लेखल—।	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालमसिंह का छत्था, जिला— जोधपुर	15.11.1965	संयुक्त राज्य अमेरिका, (यू.एस.ए.) दिनांक: 27.10.2020 से 15.12.2020 (कुल 50 दिवस)

#### शर्तें :-

- कार्मिक सकाम अधिकारी से अपना अदकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अदकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपरिधित प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे; स्वीकृत अदकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपरिधित रहता है तो उसका कार्यक्रम को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपरिधित रहा जाना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अदकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सकाम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अदकाश स्वीकृति से पूर्ण निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
  - कार्मिक के अदकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
  - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं भवत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है;
  - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विमानीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
  - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लिखित/विद्याराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अदकाश अवधि हेतु ही मान्य है;
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्ण सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ढहरने का पूर्ण पता मध्य मोबाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अधवा विदेश यात्रा के दौरान सज्ज सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रीत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समर्थ—समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता नहीं की जावेगी।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक 15-10-2020

क्रमांक—शिविर—मा/संस्था/एफ—३/१३३२०/विदेश यात्रा/मूल/2020 /395  
प्रतिलिपि—निम्नांकित को सुर्दृनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1— जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर।

2— सिट्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने वालत।

3— संबंधित संस्था प्रधान/ कार्मिक।

4— रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)